राजस्व प्रकरण संख्या – 16 / 2016

1. गणपत पिता धुलिंग (हुवर) जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पाली बड़ी तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

---------- **वादी**

बनाम

1. मडसिया पिता ढाला जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पाली बड़ी तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जवता पिता कीका जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पाली बड़ी तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कालू पिता जोगी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पाली बड़ी तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मुकेश पिता जोगी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पाली बड़ी तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा कुशलगढ़

---------- **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. टिनेन्सी एक्ट

1. विद्वान अभिभाषक वादी – श्री हवसिंग कटारा
2. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी – श्री कुन्दनसिंह राठौड़ व श्री देवीलाल लबाना

निर्णय

दिनांक – 29.08.2017

वादी की ओर से ग्राम पाली बड़ी के खाता संख्या 28 के सर्वे नं. 585 रकबा 0.52 एकड़ लगान 1.61 रु. भूमि का विधिवत प्रतिवादीगण से दिनांक 18.03.1983 जरिए विक्रय विलेख पंजीयन कराया जाकर क्रय किया था। बाद पंजीयन राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 20.05.1983 को खोला गया जो रेकार्ड में उपलब्ध है किन्तु वक्त जमाबन्दी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं किये जाने से वादी द्वारा वाद लाया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के द्वारा सूचना के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का जवाब बन्द किया जाकर एकतरफा कार्यवाही की गयी। वादी की ओर से वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2069 – 72, पंजीकृत

दस्तावेज दिनांक 23.06.1983 – Ex – 1 नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 20.06.1983, नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 28.01.1983, नामान्तरकरण संख्या 227 दिनांक 15.06.1992, नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 05.01.2001, नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 27.03.2007, नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 24.01.2007, नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 28.08.2014, राशन कार्ड गणपत (छायाप्रति), आधार कार्ड गणपत (छायाप्रति), मतदाता पहचान प्रमाण पत्र गणपत (छायाप्रति) प्रस्तुत की गयी। गणपत पुत्र श्री धुलिंग तथा भाणजी पुत्र श्री जोती के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 23.06.1983 (Ex – 1) का परीक्षण किया गया। पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 23.06.1983 के अनुसार ढाला पिता मोती भील (हुवर) द्वारा ग्राम मौजा पाली बड़ी के खेत नम्बर 585 रकबा 0.52 एकड़ लगान 1.20 का विक्रय गणपत (वादी) पिता धुलिंग भील (हुवर) को किया गया है तथा मौके पर कब्जा सौंपा गया। बैचान दस्तावेज जिल्द संख्या 13 ए क्रम संख्या 137 पृष्ठ संख्या 331 व 332 पर दिनांक 23.06.1983 को पंजीबद्ध किया गया। नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 20.06.1983 दर्ज किया गया परन्तु फैसल होने का निर्णय नामान्तरकरण पर दर्ज नहीं पाया जाता है। नामान्तरकरण के फैसल नहीं होने से उक्त आराजी का अमल जमाबन्दी चौसाला में नहीं हुआ तथा वर्तमान में यह रकबा ढाला के वारिसान व भाईयों के वारिसान के नाम दर्ज हो गया है। बैचान नामान्तरकरण एवं नामान्तरकरण संख्या 200 से यह सिद्ध होता है कि खसरा नं. 585 रकबा 0.52 एकड़ के हक – हकूर एवं कब्जा काश्त वादी गणपत के पक्ष में विक्रेता ढाला पिता मोती द्वारा किये गये है। अतः अन्तरित आराजी पर विक्रेता के वारिसान का कोई हक नहीं रह जाता है। अतः दस्तावेजात व बयान गवाह के आधार पर ग्राम पाली बड़ी के खसरा नं. 585 रकबा 0.52 एकड़ (भार मुक्त) पर वादी गणपत पिता धुलिंग को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि डिक्री की पालना में नामान्तरकरण / अमल दरामद होने तक वादी की सहमति के बिना उक्त खाते की भूमि सर्वे नम्बर 585 रकबा 0.52 एकड़ को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(नवल किशोर गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)